



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112023-250195  
CG-DL-E-22112023-250195

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4790]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945

No. 4790]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

**का.आ 4999(अ).**—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.1519(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

"2 श्री राकेश तिवारी, - सदस्य;"

निदेशक (विधि एवं अभियोजन),

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.स. 3/2/2019-पीआई पार्ट-(1)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ.1591(अ) द्वारा तारीख 12 अप्रैल, 2019 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), का.आ.1261(अ) द्वारा तारीख 17 मार्च, 2023 को संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2023

**S.O. 4999(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number S.O. 1591(E), dated the 12th April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

2. In the said notification, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
  - “2. Shri Rakesh Tiwari, - Member;”  
Director (Legal and Prosecution),  
Ministry of Corporate Affairs,
3. This Notification shall take effect on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI Part-(1)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.